

आकांक्षा आवासीय विद्यालय, जांजगीर चांपा (छ.ग.)

संक्षिप्त विज्ञप्ति

आकांक्षा आवासीय कोचिंग संस्थान में सत्र 2023-24 में कक्षा 11वीं के लिए प्रवेश की सूचना।

आकांक्षा कार्यक्रम जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 11वीं कक्षा (वर्तमान में कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल) में अध्ययनरत् आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग, मेडिकल संबंधित प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने हेतु 02 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि	—	18.05.2023
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	—	02.06.2023
लिखित परीक्षा की संभावित तिथि	—	जून 2023
आवेदन पत्र जमा करने का स्थान	—	आकांक्षा आवासीय विद्यालय जिला पंचायत परिसर जांजगीर चांपा (छ.ग.)

(आवेदन पत्र केवल कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन अवधि 10.30 से 5.30 बजे तक ही जमा किया जा सकेगा)

क्र.	कोर्स का नाम	कुल स्थान
1	मेडिकल	10
2	इंजीनियरिंग	40
योग :-		50

आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी के लिए जांजगीर चांपा जिले के वेबसाइट www.janjgirchampa.nic.in का अबलोकन किया जा सकता है एवं रोजगार कार्यालय, जिला पंचायत परिसर जांजगीर चांपा से भी संपर्क कर सकते हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सह नोडल अधिकारी
आकांक्षा कार्यक्रम जांजगीर चांपा

“आकांक्षा” कार्यक्रम अंतर्गत मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (सत्र 2023-24 के लिए)

1. छात्र का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. माता का नाम :-
4. जन्मतिथि :- शब्दों में
5. छात्र का आधार नंबर :- (छायाप्रति संलग्न करें)
6. छात्र का मोबाईल नंबर :-
7. वर्ग (अजा/अजजा/अपिव/सां.) :-
(प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. पिता का व्यवसाय :-
9. पिता की वार्षिक आय :-
10. माता का व्यवसाय :-
11. माता की वार्षिक आय :-
12. माता पिता की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय :-
(आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
13. स्थायी पता :-
.....
.....
14. पत्र व्यवहार का पता :-
.....
.....
15. पालक का व्हाट्सअप नंबर :-
16. पालक का मोबाईल नंबर :-
17. ई-मेल आईडी (यदि है तो) :-
18. पालक का आधार नंबर :-
19. स्थानीय अभिभावक का नाम :-
20. छात्र से संबंध :-
21. स्थानीय अभिभावक का पता :-
22. व्यवसाय :-
23. आधार नंबर :-
24. व्हाट्सअप नंबर :-
25. मोबाईल नंबर :-

नवीनतम
फोटो
(छात्र/
छात्रा)

छात्र के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। मैंने छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते हैं या मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से अनुशासन का उल्लंघन किया जाता है तो शाला प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

छात्र के हस्ताक्षर

पालक का घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते हैं या छात्र किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता करता है तो शाला प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

पालक का
नवीनतम
फोटोग्राफस

पालक का हस्ताक्षर

पालक का नाम

छात्र से संबंध

स्थानीय अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं श्री के पुत्र/पुत्री
का स्थानीय अभिभावक होना स्वीकार करता/करती हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं छात्र की पूर्ण जिम्मेदारी लूंगा/लूंगी।


स्थानीय
अभिभावक
का
नवीनतम
फोटोग्राफस

स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर

नाम

छात्र/छात्राओं एवं पालकों के लिए पालनीय नियम

1. यह कोचिंग कार्यक्रम जांजगीर चांपा जिले के मूल निवासियों के लिए है जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं हेतु संचालित है।
2. छात्रावास में प्रवेश कक्षा 11वीं के लिए होगा जिसे छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आचार-व्यवहार के आधार पर आगे कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए बढ़ाया जावेगा।
3. छात्र/छात्राओं को विद्यालय परिसर में रहना आवश्यक है। विद्यालय परिसर में उन्हें निर्धारित गणवेश में रहना होगा।
4. पालक अपने पाल्य से केवल रविवार को अपराह्न 1.00 बजे से 5.00 बजे के बीच मिल सकते हैं। पालकों का छात्रावास में प्रवेश वर्जित है। वे अपने पाल्य से निर्धारित स्थल पर ही मिल सकते हैं।
5. छात्र/छात्रा से मिलने वाले 2 लोगो का नाम, पता, मोबाईल नंबर एवं फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यदि अन्य व्यक्ति छात्र से मिलना चाहे तो नोडल अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। पालक यदि नोडल अधिकारी से मिलना चाहे तो वे केवल कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में ही मिल सकेंगे।
6. चयनित छात्र/छात्रा के प्रवेश के समय पालक एवं स्थानीय अभिभावक को विद्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है।
7. यदि किसी छात्र/पालक/स्थानीय अभिभावक के पते अथवा फोन नंबर में परिवर्तन होता है तो उनको कार्यालय में तत्काल सूचना देना अनिवार्य है।
8. छात्रावास में घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा अवकाश छात्रों को नहीं मिलेगा। अवकाश पर जाते समय छात्र अपने पालक अथवा अधिकृत व्यक्ति के साथ ही जा सकेंगे। छात्र को अकेले घर जाने की अनुमति नहीं होगी।
9. छात्रों को छात्रावास द्वारा निर्धारित दिनचर्या जैसे प्रातः एवं संध्या प्रार्थना, खेलकुद, विद्यालय तथा स्वाध्याय की कक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य है।
10. पालकों को अपने पाल्य की शैक्षणिक प्रगति तथा आचार व्यवहार आदि के संबंध में समय समय पर जानकारी लेते रहना आवश्यक है। विद्यालय में आयोजित पालक शिक्षक की बैठकों में पालकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
11. वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही छात्रों को आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जावेगा। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने, परीक्षाफल में पूरक की पात्रता होने या 'द' ग्रेड मिलने पर उन्हें अगले वर्ष पुनः शाला में प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
12. विद्यालय से छात्रों के उपयोग के लिए सामग्रियाँ दी जाती है कुछ छात्र उन सामग्रियों को समय पूर्व ही नष्ट कर देते हैं अथवा गुमा देते हैं। ऐसे सामग्रियों की प्रतिपूर्ति पालकों को तत्काल करनी होगी। इसी प्रकार यदि छात्र द्वारा विद्यालय परिसर में स्थित भवनों को अथवा सामग्रियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसके सुधार हेतु व्यय की गई राशि का भुगतान पालकों को करना होगा।
13. बिना अनुमति के छात्र विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जा सकेंगे।
14. विद्यालय में बीमार बच्चों के लिए केवल प्राथमिक उपचार की सुविधा है। बीमार होने की स्थिति में बच्चों के देखभाल और चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी पालक/स्थानीय अभिभावक की होगी।
15. विद्यालय परिसर में रहते हुए विद्यार्थी खेलकुद, बीमारी अथवा किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो संस्था उसके लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।
16. संस्था में प्रवेश लेने के उपरान्त विद्यार्थी को विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
17. छात्र द्वारा विद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने या किसी प्रकार की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने पर विद्यालय द्वारा छात्रों को किसी भी समय किसी भी कक्षा से निकाला जा सकता है।
18. विद्यालय स्वच्छता अभियान हेतु समर्पित है। छात्रों को विद्यालय, छात्रावास एवं संस्था परिसर को स्वच्छ रखने की जवाबदारी होगी तथा यह छात्रों की दिनचर्या का एक अंग होगा। अन्यथा की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही छात्र/पालक को मान्य होगी।
19. समय समय पर छात्रावास में परिवर्तित/संशोधित तथा अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सह नोडल अधिकारी
आकांक्षा कार्यक्रम जांजगीर चांपा

संयुक्त घोषणा

हमने उपरोक्तानुसार 01 से 19 तक दर्शित छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। हम छात्रावास द्वारा निर्धारित नियमों एवं दिनचर्या का पूरी तरह पालन करेंगे।

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर

स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर

पालक का हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा से मिलने वाले अन्य 02 व्यक्तियों का विवरण

1. नाम
2. छात्र से संबंध
3. पता
4. मोबाईल नंबर

छात्र से
मिलने वाले
का
नवीनतम
फोटोग्राफ्स

1. नाम
2. छात्र से संबंध
3. पता
4. मोबाईल नं.

छात्र से
मिलने वाले
का
नवीनतम
फोटोग्राफ्स

संयुक्त घोषणा

मैं छात्र/छात्रा
कक्षा का पालक होने के नाते उपरोक्त 02 व्यक्तियों को छात्र/छात्रा से मिलने की अनुमति देता हूँ। उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा छात्रावास में नियमों का पूर्ण पालन किया जावेगा।

उपरोक्त दर्शित हम दोनों व्यक्ति घोषणा करते हैं कि हमारे संबंध में उपरोक्त दर्शित जानकारी सही है और हमारे द्वारा छात्र से मिलते समय छात्रावास द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्णता पालन किया जावेगा।

पालक का हस्ताक्षर

छात्र से मिलने वाले
अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

छात्र से मिलने वाले
अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

प्रवेश सूचना

1. यह कोचिंग कार्यक्रम केवल जांजगीर चांपा जिले के मूल निवासियों के लिए है। जिसमें छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है।
2. आकांक्षा आवासीय विद्यालय पूर्णतः आवासीय है जिसमें प्रवेशित छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन आदि की सुविधायें जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।
3. शिक्षा सत्र 2023-24 में कक्षा 11वीं में जांजगीर चांपा जिले के आरक्षण रोस्टर के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी। जिसमें कुल सीटों का वर्गवार 30% छात्राओं के लिए आरक्षित है।
4. कक्षा 11वीं में प्रवेश केवल शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को ही प्रवेश दिया जायेगा। (वर्तमान में कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल)।
5. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक शैक्षणिक अर्हता (10वीं मार्कशीट की छायाप्रति/ इंटरनेट की सत्यापित छायाप्रति (प्राचार्य) से तथा अन्य अर्हता प्रमाण पत्र (आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड) आवेदन के समय जमा करने होंगे। दस्तावेज नहीं होने पर आवेदन निरस्त समझा जावेगा।
6. चयन होने की स्थिति में छात्र/छात्रा को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मूल प्रति में आकांक्षा आवासीय विद्यालय में जमा करना होगा।
7. मेडिकल/इंजीनियरिंग कोर्स की अवधि 02 वर्ष की होगी, जो पूर्णतः निःशुल्क होगी।
8. चयन के पश्चात् संबंधित छात्र-छात्राओं को स्वयं के व्यय पर मुख्यालय स्थित शासकीय विद्यालय में अनिवार्य रूप से दाखिला लेना होगा।
9. एक विद्यार्थी द्वारा केवल एक ही प्रकार के कोचिंग (मेडिकल या इंजीनियरिंग) के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
10. चूंकि यह पूर्णतः आवासीय कोचिंग है अतः चयनित छात्र-छात्राओं को 02 वर्ष आकांक्षा आवासीय परिसर में रहकर ही अध्ययन करना होगा।
11. चयन प्रक्रिया :- छात्र-छात्राओं का चयन कक्षा 10वीं (शैक्षणिक सत्र 2022-23) उत्तीर्ण जिसमें विषय गणित में न्यूनतम 60 अंक तथा विज्ञान में न्यूनतम 60 अंक पाना अनिवार्य है। उक्त विषयों में केवल सैद्धांतिक में प्राप्त अंक ही मान्य होंगे। प्रायोगिक के अंको को नहीं जोड़ा जावेगा।
चयन हेतु 100 अंकों की स्वतंत्र लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी। इसके पश्चात् मेरिट सूची के अनुसार चयन की कार्यवाही की जावेगी।
12. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी जिसमें विज्ञान, गणित एवं मेडिकल, इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे की होगी।

13. प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने हेतु सूचना अलग से नहीं भेजी जावेगी एवं छात्र/छात्राओं को किसी भी प्रकार की यात्रा-व्यय या अन्य भत्ता नहीं दिया जावेगा।
14. छात्रों को प्रवेश परीक्षा के समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के समय सेनटाईजर आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर महोदय जांजगीर चांपा के पास सुरक्षित होगा। कलेक्टर महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
16. चयनित छात्र/छात्राओं को अपना प्रवेश शुल्क एवं परीक्षा शुल्क स्वयं वहन करना होगा।
17. इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन जांजगीर चांपा द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सह नोडल अधिकारी
आकांक्षा कार्यक्रम जांजगीर चांपा